न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 256/2021

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
किशनसिंह पुत्र राणसिंह राजपूत निवासी पाबुसरी, तहसील गडरारोड, जिला बाडमेर		1. जमीन पुत्र सचु 2. रहमान पुत्र सचु 3. हिदायी पत्नी सचु (निवासी मठाराणी साऊद, गडरारोड, जिला बाडमेर) 4. तहसीलदार गडरारोड, (बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी गडरारोड, राजस्व आवेदन सं0 71/2020 दिनांक 22.04.2021

उपस्थित–

1. श्री गिरधरसिंह भाटी, वकील अपीलांट
2. श्री बरकत खां रेस्पो0सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी गडरारोड द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत अपीलांट के राजस्व आवेदन सं0 71/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आवंटित सुदा खातेदारी भूमि तहसील गडरारोड के ग्राम मठाराणी साऊद में खसरा नं0 398/329 रकबा 53.03 बीघा स्थित है, जिसका ख0नं0 329 है। पूर्व में उक्त भूमि ग्राम मैदूसर में आई हुई थी। नये राजस्व ग्राम का लट्ठा नक्शा तैयार करते समय तत्का. हल्का पटवारी ने मूल ग्राम मैदूसर के नक्शे का मिलान किए बिना ही उक्त खसरे की गलत तरमीम कर दी गई, जिसे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर मौका एवं रेकर्ड की स्थिति में कोई भिन्नता नही होने उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्याय हित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील गडरारोड के ग्राम मठाराणी साऊद के खसरा नं0 398/329 रकबा 53.03 बीघा प्रार्थी–अपीलांट की आवंटन सुदा खातेदारी भूमि है। मौके पर प्रार्थी आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त है। रेस्पो0सं0 1 से 3 के पिता सचु को भी इसी खसरे में 50 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा दोनों को मौके पर अलग–अलग कब्जा सुपुर्द किय गया था। उक्त भूमि पूर्व में ग्राम मेदूसर के मूल खसरा नं0 329 कुल रकबा 103.03 बीघा थी। जिसके ख0नं0 329/1 की भूमि रेस्पो0 को एवं ख0नं0 329/1 की भूमि अपीलांट को आवंटित हुई, जिसकी तरमीम कर दी गई थी। जो प्रदर्श 'अ' के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। बाद में उक्त खसरान की भूमि नवसृजित ग्राम मठाराणी साऊद में आ गई। जिस पर ग्राम मेदूसर से प्राप्त लट्ठा ट्रेस से मिलान करके नया नक्शा नही बनाया गया तथा प्रदर्श 'ब' नक्शें के अनुसार तरमीम कर दी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गडरारोड से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन प्रकरण में तहसीलदार गडरारोड द्वारा पटवारी की रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में ग्राम मेदुसर व नवसृजित ग्राम मठाराणी साऊद के लठ्ठा ट्रेस नक्शें मंगवाकर आदेश पारित करना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा इस बिन्दु पर किसी प्रकार गौर किए बिना व किसी प्रकार की प्रतिकिया व्यक्त किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाकर, पूर्व में लट्ठा ट्रेस के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि विप्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 के पिता को वर्ष 1976 में खसरा नं0 329 में से 50 बीघा भूमि सिलिंग में कटी हुई आवंटित हुई थी, जो काबिज काश्त व तरमीम सुदा है। प्रार्थी–अपीलांट को वर्ष 1983 में खसरा नं0 398/329 रकबा 53.03 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को मौके पर काबिज काश्त अनुसार लट्ठा नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी गई थी। प्राथी की खातेदारी डायरी में भी नक्शे में उक्त भूमि बतायी गई है। प्रार्थी द्वारा अपना हित साधने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार गडरारोड के पत्रांक 445 दिनांक 1.4.21 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.3.21 के अनुसार ग्राम मठाराणी साऊद के ख0नं0 398/329 (प्रार्थी) एवं ख0नं0 329 (विप्रार्थी) के वास्तविक कब्जा व मौके की जांच में वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम परिशिष्ट 'अ' तथा मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम परिशिष्ट 'ब' दर्शायी गई है, जो समान रूप से लट्ठे व मौके पर है व उक्त परिशिष्ट 'अ' व 'ब' के अनुसार ही प्रार्थी व विप्रार्थी मौके पर काबिज है। ख0नं0 329 में संबंधित खातेदार जामीन वगैरा की रहवासी ढाणी तथा दो पक्के टांके निर्मित है। उक्त खातेदार भूमि आवंटन के समय से ही इसी प्रकार (परिशिष्ट 'अ' व 'ब') काबिज है। उक्त फर्द पर प्रार्थी–किशनसिंह ने हस्ताक्षर करने से मना करना उल्लेखित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गड़रारोड द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 71/2020 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04 **अक्टूबर, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

04.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर